FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
राजेन्द्र सिंह		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–162/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.11.2021	प्रार्थी राजेन्द्रसिंह, विजयसिंह पिसरान नरपतसिंह, प्रेमकंवर पत्नी नरपतसिंह, रिंकू कंवर पुत्री नरपतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खेजड़ला तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प खेजड़ला** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 553 रकबा 11.4474 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण के पिता/पति नारायणसिंह पुत्र दौलतसिंह की थी। वादीगण के पिता/पति नारायणसिंह पुत्र दौलतसिंह का देहान्त 20.05.2017 को हो गया। वादीगण अपने पिता /पति नारायणसिंह की भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी के पास गयें ओर हल्का पटवारी को जमाबंदी व दस्तावेजात आदि को प्रस्तुत किये जिस पर हल्का पटवारी ने जमाबंदी व दस्तावेजात आदि को देखकर वादीगण को बताया कि आपके पि[illegible] की जमाबंदी में नारायणसिंह पुत्र दौलतसिंह नाम लि[illegible] हुआ है। तथा आपके सरकारी दस्तावेजात मे आपके पिता/पति [illegible]सिंह पुत्र दौलतसिंह लिखा हुआ है। आप अपने पिता/पति का राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम नारायणसिह पुत्र दौल[illegible]सिंह की शुद्धि सक्षम न्यायालय से करा कर लावें। तब आपका फौतेदगी नामान्तकरण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:29 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत किया जायेगा। इस कारण वादीगण को अपने पिता/पति का दर्ज गलत नाम नारायणसिंह पुत्र दौलतसिंह के स्थान पर नरपतसिह पुत्र दौलतसिंह का नाम दर्ज कराने हेतु यह दावा पेश करना पड़ रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी प्रेमकंवर, राजेन्द्रसिंह ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी प्रेमकंवर का आधार कार्ड, राजेन्द्रसिंह का आधार कार्ड, विजयसिह का आधार कार्ड, रिंकू कंवर का आधार कार्ड,पहचान पत्र नरपतसिंह पुत्र दौलतसिंह, मृत्यु प्रमाण पत्र नरपतसिंह पुत्र दौलतसिंह, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 553 आदि को पेश किये है। वादी ने कार्यालय ग्राम पंचायत खेजड़ला द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र पेश किया। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया।

वादीगण ने मजमा आम में निवेदन किया कि हमारे पिता/पति का नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में नारायणसिंह पुत्र दौलतसिंह गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण हमारा फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत नहीं हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादीगण के पिता का नाम नरपतसिंह पुत्र दौलतसिंह के बजाय नारायणसिंह पुत्र दौलतसिंह दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 553 रकबा 11.4474 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में नारायणसिह पुत्र दौलतसिंह के स्थान पर नरपतसिह पुत्र दौलतसिंह की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम [illegible] में [illegible] गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:29 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी

[illegible]लाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. राजेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह जरिये		राजस्थान सरकार
2.विजयसिंह पुत्र नरपतसिंह		तहसीलदार बिलाड़ा
3 प्रेमकंवर पत्नी नरपतसिह		
4. रिंकू कंवर पुत्री नरपतसिंह		
जातियान राजपूत निवासीगण खेजड़ला तहसील बिलाड़ा		

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 162/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक** :— 22.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तय कब्र पुकार व हाजिरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या—1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददालाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 553 रकबा 11.4474 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में नारायणसिह पुत्र दौलतसिंह के स्थान पर नरपतसिह पुत्र दौलतसिंह की संयुक्त खातेदारी

काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:29 IST
Reason: SelfAttested